न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), फलोदी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी पुष्पाकंवर सिसोदिया (आर.ए.एस.)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
लादुसिंह पुत्र श्री प्रभुसिंह जाति राजपूत निवासी ढेलाणा तहसील लोहावट जिला जोधपुर (राज.)		1. जालमसिंह पुत्र प्रभुसिंह जाति राजपूत निवासी ढेलाणा तहसील लोहावट जिला जोधपुर 2. तहसीलदार लोहावट

दावा अंतर्गत धारा 53, 88, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

राजस्व मूल वाद संख्या :— 371/2019

उपस्थित :—

1. श्री रामस्वरूपसिंह अधिवक्ता वादी की तरफ से
2. सुरेन्द्र कुमार विश्नोई प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 2 स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांक :— 3/06/2019

वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक खातेदारी की काश्त भूमि ग्राम लोहावट विश्नावास पटवार क्षेत्र लोहावट विश्नावास तहसील लोहावट में खेत खसरा नम्बर 264/2974/1 रकबा 77.18 बीघा की आई हुई थी। जिसमें 1/2 हिस्सा यानि 38.19 बीघा वादी का एंव 1/2 हिस्सा यानि 38.19 बीघा प्रतिवादी संख्या 1 के बंट में आती है। उक्त भूमि का आपसी सहमति से बंटवाड़ा वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व अभियान कैम्प लोहावट में दिनांक 15.06.1990 को करवाया जिसका नामांतरकरण उसी दिन भरा जाकर राजस्व रेकर्ड में खाते अलग अलग कायम कर दिये लेकिन नक्शा ट्रैस में तरमीम नही की गई। वादी के बंट में दक्षिणी तरफ की भूमि रखी गई तथा प्रतिवादी संख्या 1 के बंट में उतर की तरफ की भूमि रखी गई। इसी अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के नाम खसरा नम्बर 264/2974/1 रकबा 37.19 बीघा दर्ज है जिसको वादी दुरूस्त करवाकर खसरा नम्बर 264/2974/1 रकबा 38.19 बीघा दर्ज करवाने एवं भूमि की कब्जाकाश्त अनुसार तरमीम करवाने का अधिकारी है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार विश्नोई ने वकालात नामा पेश किया और वादी के वाद का जवाब प्रस्तुत करते हुवे कि ग्राम लोहावट विश्नावास पटवार क्षेत्र लोहावट विश्नावास तहसील लोहावट में खेत खसरा नम्बर 264/2974 रकबा 77.18 बीघा भूमि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक खातेदारी की काश्त भूमि है। उक्त भूमि का पूर्व में आपसी सहमति से बंटवाड़ा होकर भूमि राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खसरा नम्बर 264/2974 रकबा 38.19 बीघा के रूप में दर्ज है और उक्त भूमि नक्शा ट्रैस में सामलाती ही दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 जवाबदावा के साथ संलग्न नजरी नक्शा में मार्क अनुसार उक्त भूमि के नक्शा में तरमीम करवाने का अधिकारी है।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) फलोदी

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार लोहावट ने स्वयं उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया। प्राथमिक डिक्री माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार जारी करने में सहमति जाहिर की।

प्रतिवादी संख्या 1 ने धारा 152 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लोहावट बी.बी. में वादी के नाम की भूमि खसरा नम्बर 264/2974 रकबा 37.19 बीघा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की भूमि खसरा नम्बर 264/2974 रकबा 38.19 बीघा के रूप में आई हुई है। वादी एवं प्रतिवादी दोनों के खसरा नम्बर एक ही दर्ज है लेकिन खाता अलग अलग है एंव नक्शे में तरमीम नहीं की हुई है। सामलाती दर्ज है। वादी ने दावा में अपना रकबा 37.19 बीघा की जगह शुद्ध किया जाकर 38.19 बीघा किये जाने की प्रार्थना की है जिसमें प्रतिवादी को कोई एतराज नहीं है। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुवे कहा कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक खातेदारी की काश्त भूमि ग्राम लोहावट विश्नावास पटवार क्षेत्र लोहावट विश्नावास तहसील लोहावट में खेत खसरा नम्बर 264/2974/1 रकबा 77.18 बीघा की आई हुई थी। जिसमें 1/2 हिस्सा यानि 38.19 बीघा वादी का एंव 1/2 हिस्सा यानि 38.19 बीघा प्रतिवादी संख्या 1 के बंट में आती है। उक्त भूमि का आपसी सहमति से बंटवाड़ा वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व अभियान कैम्प लोहावट में दिनांक 15.06.1990 को करवाया जिसका नामांतरकरण उसी दिन भरा जाकर राजस्व रेकर्ड में खाते अलग अलग कायम कर दिये लेकिन नक्शा ट्रैस में तरमीम नही की गई। वादी के बंट में दक्षिणी तरफ की भूमि रखी गई तथा प्रतिवादी संख्या 1 के बंट में उतर की तरफ की भूमि रखी गई। इसी अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के नाम खसरा नम्बर 264/2974/1 रकबा 37.19 बीघा दर्ज है जिसको वादी दुरूस्त करवाकर खसरा नम्बर 264/2974/1 रकबा 38.19 बीघा दर्ज करवाने एवं भूमि की कब्जाकाश्त अनुसार तरमीम करवाने का अधिकारी है। इसलिये वादी का वाद स्वीकार किया जावे।

प्रतिवादी सख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम लोहावट विश्नावास पटवार क्षेत्र लोहावट विश्नावास तहसील लोहावट में खेत खसरा नम्बर 264/2974 रकबा 77.18 बीघा भूमि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक खातेदारी की काश्त भूमि है। उक्त भूमि का पूर्व में आपसी सहमति से बंटवाड़ा होकर भूमि राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खसरा नम्बर 264/2974 रकबा 38.19 बीघा के रूप में दर्ज है और उक्त भूमि नक्शा ट्रैस में सामलाती ही दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 जवाबदावा के साथ संलग्न नजरी नक्शा में मार्क अनुसार उक्त भूमि के नक्शा में तरमीम करवाने का अधिकारी है। ग्राम लोहावट बी.बी. में वादी के नाम की भूमि खसरा नम्बर 264/2974 रकबा 37.19 बीघा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की भूमि खसरा नम्बर 264/2974 रकबा 38.19 बीघा के रूप में आई हुई है। वादी एवं प्रतिवादी दोनों के खसरा नम्बर एक ही दर्ज है लेकिन खाता अलग अलग है एंव नक्शे में तरमीम नहीं की हुई है। सामलाती दर्ज है। वादी ने दावा में अपना रकबा 37.19 बीघा की जगह शुद्ध किया जाकर 38.19 बीघा किये जाने की प्रार्थना की है जिसमें प्रतिवादी को कोई एतराज नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 2 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सभी रेकर्डड खातेदार है तथा बंटवाड़ा करवाने के जायज अधिकारी है इसलिये गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना उचित है।

अधिवक्ता वादीगण एवं प्रतिवादीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजात जामबंदी, नामांतरकरण, नक्शा ट्रैस, विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

Scanned by CamScanner

जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि पूर्व में वादी एवं प्रतिवादी के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा वादी का, 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का है इसी अनुसार इनके मध्य पूर्व में बंटवाड़ा हुआ लेकिन नक्शा में तरमीम नहीं की गई वर्तमान राजस्व रेकर्ड में ग्राम लोहावट बी.बी. में वादी के नाम की भूमि ख.स. 264/2974 रकबा 37.19 बीघा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की भूमि खसरा नम्बर 264/2974 रकबा 37.19 बीघा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की भूमि खसरा नम्बर 264/2974 रकबा 38.19 बीघा के रूप में दर्ज है इसलिये वादी को अपनी काश्त भूमि का रकबा दुरूस्त करवाने एवं बंटवाड़ा करवाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। वादीगण ने अपने वाद को दस्तावेजात से साबित किया है। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर पूर्व में प्राथमिक डिक्री जारी की गई, तहसीलदार लोहावट ने विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अदालत हाजा में पेश किये। तससीलदार लोहावट द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य होने स्वीकर किया गया। वकील वादी ने विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

–: आदेश :–

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर कि राजस्व ग्राम लोहावट बी.बी. में वादी के नाम नाम की भूमि खसरा नम्बर 264/2974 रकबा 37.19 बीघा के स्थान पर 38.19 बीघा का एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की भूमि खसरा नम्बर 264/2974 रकबा 38.19 बीघा का खातेदार काश्तकार घेपित किया जाता है तथा तहसीलदार लोहावट को आदेश दिये जाते है कि पूर्व में जारी विभाजन प्रस्ताव अनुसार उक्त वादग्रस्त आराजी का विभाजन किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी के नाम से राजस्व रेकर्ड में अलग अलग खाते कायम कर इन्द्राज करे और इसी माफिक नक्शा ट्रैस में सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम की किये जाने की अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल सुमार हो, नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03/06/2019 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पुष्पा कंवर सिसोदिया (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट फलोदी